रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259728 CG-DL-E-31122024-259728

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030] No. 1030] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2024

फा. सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी.--केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (जिस इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा टिप्पणियाँ

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 है।
- 1.2 ये विनियम दिनांक 23.12.2024 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियमों के विनियम 3 का संशोधनः
- 2.1 मूल विनियमों के विनियम (3) के खंड (1) के उप—खंड (छ) में शब्दों "जो कि दिए गए समय ब्लॉक में विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:
 - "और वह प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा तक सीमित होगी"
- 2.2 मूल विनियमों के विनियम (3) के खंड (1) के उप—खंड (ञ) में शब्दों "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के कैप्टिव उपभोग के मामले में" से पहले निम्निलखित शब्दों को जोड़ा जाएगाः

"डब्ल्यूएस विक्रेता या एमएसडब्ल्यू विक्रेता या यथा लागू ऐसी किसी अन्य इकाई के संबंध में, निर्वाध पहुंच के माध्यम

8310 GI/2024 (1)

से तृतीय पक्ष को विद्युत की बिक्री या"

- 2.3 मूल विनियमों के विनियम (3) के खंड (1) के उप—खंड (म) में शब्दों "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा संसाधनों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के कैप्टिव उपभोग के मामले में" से पहले निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगाः "निर्वाध पहुंच के माध्यम से तृतीय पक्ष को विद्युत की बिक्री करने वाले सामान्य विक्रेता के संबंध में या"
- 3. मूल विनियमों के विनियम 8 (विचलन के लिए प्रभार) का संशोधनः
- 3.1 मूल विनियमों के विनियम 8 के खंड (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः
 - "(8) अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार शून्य होंगेः

परंतु यह कि यदि अशक्त विद्युत ग्रिंड कोड में यथा विनिर्दिष्ट सफल चालन परीक्षण के बाद अनुसूचित की जाती है, तो अनुसूचित अशक्त विद्युत से अधिक विचलन के लिए प्रभार सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता, यथास्थिति, के लिए लागू होंगे:

परंतु यह और कि जब प्रणाली फ्रीक्वेंसी, f>50.05 हर्ट्ज़, तो सामान्य विक्रेता या डब्ल्यूएस विक्रेता, यथास्थिति, द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के माध्यम से अनुसूचित अशक्त विद्युत के विचलन के लिए प्रभार शून्य होंगे।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./847/2024-25]

नोटः

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 दिनांक 21.08.2024 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4, सं. 642 में प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICIRY REGULATORY COMMISSINON

AMENDMENT

New Delhi, the 17th December, 2024

F. No. L-1/260/2021/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters)Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely: -

1. Short Title And Comments

- 1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (First Amendment) Regulations, 2024.
- 1.2 These regulations shall come into force with effect from 23.12.2024.

2. Amendment to regulation 3 of the principal regulations:

2.1 The following words shall be inserted after the words "that are capable of generating power in a given time block" in sub-clause (g) of clause (1) of Regulation (3) of the Principal Regulations:

"and shall be limited to the quantum of connectivity granted"

- 2.2 The following words shall be inserted before the words 'in case of captive consumption of a captive generating plant based on renewable energy sources' in sub-clause (j) of clause (1) of Regulation (3) of the Principal Regulations:
 - "in respect of a WS seller or a MSW seller or such other entity as applicable, selling power through open access to a third party or"
- 2.3 The following words shall be inserted before the words 'in case of captive consumption of a captive generating plant based on resources other than renewable energy sources' in sub-clause (y) of clause (1) of Regulation (3) of the Principal Regulations:
 - "in respect of a general seller selling power through open access to a third party or"
- 3. Amendment of regulation 8 (charges for deviations) of the principal regulations:
- 3.1 Clause (8) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(8) The charges for injection of infirm power shall be zero:

Provided that if infirm power is scheduled after a successful trial run as specified in the Grid Code, the charges for deviation over the scheduled infirm power shall be as applicable for a general seller or WS seller, as the case may be:

Provided further that when the system frequency, f > 50.05Hz, the charges for deviation of scheduled infirm power by way of over injection by a general seller or WS seller, as the case may be, shall be zero."

. HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./847/2024-25]

Note:

The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024, were published in Part III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.08.2024.